उत्तर प्रदेश शासन
वन अनुभाग–1
संख्याः– 633 / 14–1–2014–6 / 2014
लखनऊ दिनांक 03 मार्च, 2014

कार्यालय–ज्ञाप

भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम–1966, यथासंशोधित, 2014 के अनुपालन में पूर्व में गठित सिविल सेवा बोर्ड के स्थान पर उत्तर प्रदेश भारतीय वन सेवा संवर्ग के अधिकारियों हेतु तात्कालिक प्रभाव से सिविल सेवा बोर्ड का गठन निम्नवत् किया जाता हैः–

(i) मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(ii) श्री आलोक रंजन, कृषि उत्पादन आयुक्त	सदस्य
(iii)प्रमुख सचिव, कार्मिक	सदस्य
(iv)प्रमुख सचिव, वन	सदस्य
(v) प्रमुख वन संरक्षक	सदस्य

2– उक्तानुसार गठित सिविल सर्विस बोर्ड भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम–1966 यथासंशोधित, 2014 में निहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सम्पादित करेगी।

3– कार्मिक अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या–1 / 8 / 2001–का–4–2001, दिनांक 18–06–2007 द्वारा गठित सिविल सेवा बोर्ड भारतीय वन सेवा की पोषक सेवाओं के लिए यथावत लागू रहेगा। इस सीमा तक उपरिसंदर्भित कार्मिक अनुभाग–4 के शासनादेश को संशोधित समझा जाय।

वी0एन0गर्ग
प्रमुख सचिव।

संख्याः– 633 (1) / 14–1–2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, भारत सरकार लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग नार्थ ब्लाक नई दिल्ली।
2– सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी0जी0ओ0 काम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली।
3– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी, प्रथम) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4– मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5– कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
6– प्रमुख सचिव, कार्मिक, उ0प्र0 शासन।
7– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0।
8– प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।
9– कार्मिक अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन।
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार पाण्डेय)
उप सचिव।